

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 16-09-2021**

**कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर से एक नफर अभियुक्त को धारा 60ExcAct आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार किया गया ।**

श्री डा0 यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक कठेला समय माता श्री सौदागर राय के नेतृत्व में दिनांक 15.09.2021 को धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक अभियुक्त को मु0अ0सं0 06/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

1. तुलसीराम पुत्र अयोध्या जायसवाल निवासी ग्राम गाजीपुर थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर ।  
बरामदगी का विवरण-50 शीशी बंटी-बबली प्रत्येक 200ML देशी शराब अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया ।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-**

01. श्री राम महेश सिंह, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-4 इटवा जनपद सिद्धार्थनगर
02. उ0नि0 शैलेंद्र सिंह थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर
03. हे0 का0 राम सितारे आबकारी जनपद सिद्धार्थनगर
04. आबकारी सिपाही विनोद शर्मा जनपद सिद्धार्थनगर

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 16-09-2021**

**थाना मिश्रौलिया पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल ।**

डाँ0 श्री यशवीर सिंह, पुलिस, अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल मार्गदर्शन में आज दिनांक 16-09-2021 को श्री पंकज कुमार पाण्डेय, थानाध्यक्ष मिश्रौलिया के नेतृत्व में उ0नि0 श्री हरेन्दर शुक्ला मय टीम द्वारा वाद संख्या 898/2012 धारा 323/504 भा0द0वि0 में वांछित एक नफर वारंटी अभियुक्त , अमृत यादव पुत्र कोटे यादव साकिन महुई थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

01- अमृत यादव पुत्र कोटे यादव साकिन महुई थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण**

- 01- उ0नि0 श्री हरेन्दर शुक्ला, थाना मिश्रौलिया, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 02- का0 नागेन्द्र कुमार यादव, थाना मिश्रौलिया, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 03- का0 दुर्गेश विश्वकर्मा, थाना मिश्रौलिया, जनपद सिद्धार्थनगर ।

**प्रेस नोट, दिनांक 16.9.21**

**थाना जोगिया उदयपुर पुलिस ने दो वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

डॉ. यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अनुसरण में और श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्री अरुण चंद्र, क्षेत्राधिकारी बांसी के मार्गदर्शन व तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक जोगिया उदयपुर के नेतृत्व में उपनिरीक्षक श्री वीरेंद्र राय व हमराह पुलिस का. अभिनव तथा का. राहुल द्वारा दिनांक 15.09.2021 को मुखविरी सूचना के आधार पर वारंटी अभियुक्त संतराम पुत्र मुनेसर व मुंशी पुत्र शिवतहल निवासीगण हाटा खास थाना जोगिया उदयपुर सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर लिया गया। उल्लेखनीय है कि दोनों अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय ने धारा: 323,504,506 आईपीसी व 3(1) द SC/ST Act के अंतर्गत बिना जमानतीय वारंट जारी किया था। पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहे थे, परंतु मुखबिर की सूचना के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए आज माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

**प्रेस नोट दिनांक 16.09.2021 थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर**

**थाना उसका बाजार पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 130/2021 धारा 363/366 भा0 द0 वि0 से सम्बंधित अपहता बरामद ।**

डॉ0 श्री यशवीर सिंह, पुलिस, अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्री सुरेश चन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल मार्गदर्शन में आज दिनांक 16.09.2021 को श्री अजय कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक उसका बाजार के नेतृत्व में उ.नि. श्री नन्दू गौतम, हे.का.शैलेंद्र सिंह, म.का.रूपा यादव के द्वारा थाना उसका बाजार पर पंजीकृत मु.अ. सं.130/2021 धारा 363/366 भा. द. वि. से सम्बंधित अपहता की बरामदगी कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**प्रेस नोट दि0 16.09.2021 थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर**

**02 वांछित बाल अपचारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।**

डॉ0 यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री सुरेश चन्द रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री प्रदीप कुमार यादव एवं प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में मु0अ0सं0 162/2021 धारा 354 भा.द.वि. व पास्को एक्ट से सम्बन्धित वांछित 02 बाल अपचारी को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया ।

## प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 16-09-2021

थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर से 03 नफर अभियुक्तगणों को मु0अ0सं0 005/2021 धारा 323/504/304 भा0द0वि0 में गिरफ्तार किया गया।

डॉ0 यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक कठेला समय माता श्री सौदागर राय के नेतृत्व में आज दिनांक 16.09.2021 को मु0अ0सं0 005/2021 धारा 323/504/304 भा0द0वि0 के तहत अन्तर्गत 03 नफर अभियुक्तगणों को बहद ग्राम गाजीपुर पुलिया के पास समय करीब 08.40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय भेजा गया।

### गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण:-

01. मोल्हू पुत्र इसहाक निवासी-कठेला जनूवी टोला हृदयनगर थाना कठेला समय माता जिला सिद्धार्थनगर
02. सकिना पत्नी मोल्हू निवासी-कठेला जनूवी टोला हृदयनगर थाना कठेला समय माता जिला सिद्धार्थनगर
03. राविया पत्नी मंसूर आलम निवासी-कठेला जनूवी टोला हृदयनगर थाना कठेला समय माता जिला सिद्धार्थनगर

### गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण

01. प्रभारी निरीक्षक सौदागर राय थाना-कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर
02. उ0नि0 अशोक कुमार थाना-कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर
03. उ0नि0 शैलेन्द्र सिंह थाना-कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर
04. हे0का0 सुरेश वरुण थाना-कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर
05. का0 रामसेवक यादव थाना-कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर
06. म0का0 रम्भा यादव थाना-ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर

## प्रेस नोट- थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 16.09.2021

### पति-पत्नी के बीच पारिवारिक झगड़े को कराया गया सुलह समझौता।

डा0 यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर, श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण में, श्री अंजनी कुमार राय थानाध्यक्ष थाना भवानीगंज सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में, बीट उ0नि0 श्री जयप्रकाश प्रसाद, बी0पी0ओ0 श्री जयप्रकाश उपाध्याय तथा बी0पी0ओ0 महिला आरक्षी सुमन मौर्या के सहयोग से आज दिनांक 16.09.2021 को प्रार्थिनी सुशीला पत्नी दिनेश गुप्ता ग्राम खानतारा थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर के अपने पति के खिलाफ प्रार्थना पत्र पर पति पत्नी के बीच कई वर्षों से चल रहे पारिवारिक झगड़े को उनके गाँव के कई सम्भ्रांत व्यक्तियों के समक्ष समझा बुझाकर सुलह कराया गया। पति-पत्नी राजी खुशी रहने को तैयार हो गये तथा खुशी खुशी दोनों को मिष्ठान खिलाकर थाना हाजा से घर भेजा गया। थानाध्यक्ष श्री अंजनी कुमार राय के कुशल निर्देशन में पति पत्नी के बीच कराये गये आपसी सुलह से गाँव के व्यक्तियों के द्वारा भवानीगंज पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

**प्रेस नोट दिनांक 16.09.2021 थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर**

**90 सीसी नेपाली शराब के साथ एक अभियुक्त को एसएसबी व मोहाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित निरंजनपुर बाग से दबोचा।**

डॉ श्री यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं श्री सुरेश चन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री जयप्रकाश दूबे थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 16.09.2021 को थाना मोहाना पुलिस द्वारा मु.अ.सं. 179/2021 धारा 63 आबकारी अधिनियम के तहत अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

रोहित पुत्र पारसनाथ निवासी दूल्हा सुमाली टोला अमहवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर

**बरामदगी का विवरण-**

1. 90 सीसी नेपाली शराब
2. मोटरसाइकिल नं०- UP53W3052 बजाज CT 100

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-**

1. उ०नि० श्री शिव नारायण सिंह चौकी प्रभारी ककरहवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर
2. हे०का० तेज प्रताप सिंह थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर
3. का० इंद्रजीत कुमार थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर
4. उप निरीक्षक देशराज एसएसबी
5. एसआई नृपेन कचारी एसएसबी
6. हेड कांस्टेबल बलराम एसएसबी

**सराहनीय कार्य दिनांक 16.09.2021**

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्फटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी यातायात पुलिस/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-16-09-2021 को जनपदीय पुलिस एवं यातायात पुलिस बल द्वारा एम०वी० एक्ट के अंतर्गत 254 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 40 वाहनों का चालान तथा 01 वाहन को सीज कर ₹ 41,000/-शमन शुल्क वसूल किया गया।